संख्या-667/22-2-2014-17(1)2013

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः अगस्त, 2015

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री अचरज लाल निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4736/पर-3(एम-05-02-2014) दिनांक 13-02-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री अचरज लाल, निवासी गली नं0-3, नेहरू नगर थाना-सिविललाइन, जनपद-मेरठ का निवासी है। पत्नी द्वारा मायके से पैसे लाने से मना करने के कारण बन्दी ने दिनांक 02-08-1997 की रात्रि लगभग 11:00 बजे पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 08-08-1997 की रात्रि में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1476/97 में भा0 द0 वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 15-03-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31-10-2013 तक 16 वर्ष 02 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, अपराध कारित करने में बन्दी अशक्त नहीं है, बन्दी को रिहा करने पर कोई संज्ञेय अपराध कारित कर सकता है तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त आधारों पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा भी उक्त आधारों पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत 'यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938' की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री अचरज लाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अश्वनी कुमार (बन्दी संख्या-12021) पुत्र श्री अचरज लाल, निवासी गली नं0-3, नेहरू नगर थाना-सिविल लाइन, जनपद-मेरठ की फार्म-ए के प्रार्थना-पत्र पर 'यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938' की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेंस पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-667(1)/22-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-667/2015/41/22-2-2015-17(1)/2013

दिनांक अगस्त, 2015 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री अचरज लाल निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में, महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री अचरज लाल, निवासी गली नं0-3, नेहरू नगर थाना-सिविललाइन, जनपद-मेरठ का निवासी है। पत्नी द्वारा मायके से पैसे लाने से मना करने के कारण बन्दी ने दिनांक 02-08-1997 की रात्रि लगभग 11:00 बजे पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 08-08-1997 की रात्रि में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1476/97 में भा0 द0 वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 15-03-2002 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31-10-2013 तक 16 वर्ष 02 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, अपराध कारित करने में बन्दी अशक्त नहीं है, बन्दी को रिहा करने पर कोई संज्ञेय अपराध कारित कर सकता है तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त आधारों पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा भी उक्त आधारों पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत 'यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी अश्वनी कुमार पुत्र श्री अचरज लाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की लाइसेंस पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(करूणेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in